राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत फॉलोअप केम्प–सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व विविध सं. 31/2011
दायरा तिथि 23.06.2011
आदेश तिथि 03.06.2016

प्रार्थीगण–
1–सलीम मोहम्मद पुत्र अमरूखां,
2–श्रीमती शरीफा पत्नी मुस्ताक अहमद
3–मुस्ताक अहमद पुत्र अमरूखां
जातिगण कुम्हार मुसलमान
निवासीगण जावाल हाल सुमेरपुर
तहसील सुमेरपुर

बनामः

अप्रार्थीगण–
1–स्व.श्रीमती छगनकंवर बेव छतरसिंह
के का.मु.– अप्रार्थी सं.02 व 03
2–नारायणसिंह पुत्र छतरसिंह
3– छैलसिंह पुत्र छतरसिंह
तमाम जाति राजपूत निवासी गलथनी
तहसील सुमेरपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTAct,1955 एवं
आदेश–39, नियम–1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी.

–: आदेश :–

दिनांक 03.06.2016

(1) कि उपरोक्त अनबान की पत्रावली राजस्व लोक अदालत फॉलोअप केम्प न्यायालय हाजा सुमेरपुर में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान मय अधिवक्ता उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की बहस दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप इस प्रकरण की विवादित स्थिति अनुसार प्रार्थीगण (वादीगण) ने अप्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के विरूद्ध सरहद मौजा गलथनी पटवार सर्कल बलवना तहसील सुमेरपुर में स्थित प्रार्थीगण (वादीगण) के कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 239/1, 246, 247, 248 रकबा क्रमशः 0.32, 1.23, 1.32, 0.84 कुल रकबा 3.71 हेक्टर के बारे में खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु व रेकर्ड दुरूस्ती बाबत कतिपय प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वादपत्र एवं उक्त वादपत्र के साथ–2 मूल वादपत्र के निस्तारण होने तक कतिपय प्रावधान के तहत उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से हस्तक्षेप या दखलंदाजी नहीं करे, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु निवेदन किया है। चूंकि वादग्रस्त भूमि बाबत् विचारार्थ मूल वाद पत्रावली को गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णित करने में समय लगेगा।

(2) कि प्रश्नगत् मामले में वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् प्रस्तुत साक्ष्य–दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2064–2067, नजरी नक्शा–ट्रेस सर्वे सरहद बलवना हाल सेटलमेंट व नजरी नक्शा–ट्रेस सर्वे सरहद बलवना गत् सेटलमेंट की प्रतियों का अवलोकन एवं परीक्षण करने तथा उभयपक्षीय बहस दलीलों पर विचारण करने के पश्चात् प्रार्थीगण के कथित प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्ठि होना प्रथमः दृष्ट्या प्रतीत होने से और वाद–विषयक स्थिति के अनुसार विधिक बिन्दु क्रमशः प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व असाध्य क्षति होना प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होना प्रतीत होता है तथा इस आधारित हमारे विधिक विचारों में उल्लेखित वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत विचारार्थ मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद संख्या 31/2011 के निर्णित होने तक बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण के अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार बनते है, इसलिए प्रार्थीगण का कथित प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी लगातार–2
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचन तथ्यों के परिणामतः प्रार्थीगण का कथित प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा गलथनी पटवार सर्कल बलवना तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 239/1, 246, 247, 248 रकबा क्रमशः 0.32, 1.23, 1.32, 0.84 कुल रकबा 3.71 हेक्टर के बारे में विचाराधीन मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 1173/2015 का निर्णय न हो जाए तब तक प्रार्थीगण की उपरोक्त कब्जा काश्त की वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से हस्तक्षेप या दखलंदाजी नहीं करे, इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

यह आदेश बरोज आज दिनांक 03.06.2016 को राजस्व लोक अदालत फॉलोअप केम्प न्यायालय हाजा सुमेरपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

उपखण्ड अधिकारी * सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान)

Scanned by CamScanner